न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 123/2024
निर्णय दिनांक 05.2.2025
जीसीएमएस नम्बर 2024/261

1. ओमप्रकाश पुत्र रामूराम जाति ढोली निवासी झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. मोडाराम पुत्र रामूराम जाति ढोली निवासी झन्झेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. रामूराम पुत्र भूराराम जाति ढोली निवासी झन्झेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू—राजस्व, श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की और से वादपत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 373 तादादी 3.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 तादादी 4.0200 हैक्टेयर रोही झन्झेऊ में स्थित है। जिनमें वादी एवं वादी के भाई एवं पिता का नाम ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल, मोडाराम पुत्र रामेश्वरलाल, रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम दर्ज है जबकि वादी एवं के भाई व पिता का वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र रामूराम, मोडाराम पुत्र रामूराम, रामूराम पुत्र भूराराम है। जो वादी एवं के भाई व पिता के दस्तावेजो में दर्ज है। वादी एवं के भाई व पिता के पहचान के दस्तावेजो में नाम रामूराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में नाम रामेश्वरलाल दर्ज है जिसको पहचान के दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। उक्त खेतों पर वादी एवं वादी के भाई मोडाराम का कब्जा—काश्त एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी से पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नही होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र के दस्तावेज रामूराम नाम से बने हुए है जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम सही करवाने पर ही लोन दिया जायेगा तब वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के विरास्त की भूमि है जो वादी को विरास्त में प्राप्त हुई है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी एवं के भाई व पिता का नाम ओमप्रकाश पुत्र रामूराम, मोडाराम पुत्र रामूराम, रामूराम पुत्र भूराराम की जगह ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल, मोडाराम पुत्र रामेश्वरलाल, रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने के अधिकारी है। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के वादी का नाम पहचान के दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती है एवं वादी अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वचित है। वादी एवं के भाई व पिता के पहचान के सबूत में ओमप्रकाश पुत्र रामूराम, मोडाराम पुत्र रामूराम, रामूराम पुत्र भूराराम होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम ओमप्रकाश पुत्र रामूराम, मोडाराम पुत्र रामूराम, रामूराम पुत्र भूराराम दर्ज करवाने के अधिकारी है । वादी ने अपने खेत पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि उसका नाम ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल, मोडाराम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:28 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र रामेश्वरलाल, रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी । उक्त दावा में स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मागा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही झन्झेऊ के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान् हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है । अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें का निवेदन किया गया:–

(क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 373 तादादी 3.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 तादादी 4.0200 हैक्टेयर रोही झन्झेऊ में ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल, मोडाराम पुत्र रामेश्वरलाल, रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम की जगह ओमप्रकाश पुत्र रामूराम, मोडाराम पुत्र रामूराम, रामूराम पुत्र भूराराम घोषित किया जावें।

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 373 तादादी 3.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 तादादी 4.0200 हैक्टेयर रोही झन्झेऊ में ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल, मोडाराम पुत्र रामेश्वरलाल, रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम की जगह ओमप्रकाश पुत्र रामूराम, मोडाराम पुत्र रामूराम, रामूराम पुत्र भूराराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब दावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादीगण वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 373 तादादी 3.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 तादादी 4.0200 हैक्टेयर रोही झन्झेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण एवं वादीगण के पिता का नाम रामेश्वरलाल के स्थान पर रामूराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.2.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:28 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र रामूराम जाति ढोली निवारी झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. मोडाराम पुत्र रामूराम जाति ढोली निवारी झन्झेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. रामूराम पुत्र भूराराम जाति ढोली निवारी झन्झेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–राजस्व, श्रीडूंगरगढ़।

मुकदमा नम्बर 123/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूसती
निर्णय दिनांकः 05.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **खेत खसरा नम्बर 373 तादादी 3.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 तादादी 4.0200 हैक्टेयर रोही झन्झेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण व वादीगण के पिता का नाम रामेश्वरलाल के स्थान पर रामूराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 5 माह 2 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)